



शिक्षा की संगठनात्मक व्यवस्था का विवेचनात्मक अध्ययन

दीपक कुमार

शिक्षा शास्त्र (नेट) (उ0प्र0) भारत

Received- 01 .06. 2019, Revised- 06 .06. 2019, Accepted - 10.06.2019 E-mail: kumaryadavdeepak05@gmail.com

सारांश : शिक्षा विभाग के वर्तमान संगठनात्मक स्वरूप को दो विभागाध्यक्षों के अधीन विभक्त कर दिया गया है, प्रथम सचिवालय स्तर पर और दूसरा निदेशालय स्तर पर। सचिवालय स्तर पर माध्यमिक शिक्षा और भाषा मंत्रालय, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री बेसिक शिक्षा। इस संगठनात्मक व्यवस्था के अंतर्गत प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है, जो सचिव, बेसिक शिक्षा और सचिव, माध्यमिक शिक्षा दोनों के कार्यों को देखता है। चार विशेष सचिव भी हैं, जिनकी सहायता तीन संयुक्त सचिव और दो उप सचिव तथा एक अनु सचिव करते हैं। इन सबके अतिरिक्त एक विशेष कार्य अधिकारी, जो पुस्तकालय की देखभाल करता है, तथा एक वरिष्ठ शोध अधिकारी होता है, जो योजना, बजट और उसका क्रियान्वयन देखता है। शिक्षा की एक राज्य स्तरीय स्थायी समिति होती है, जो शिक्षा मंत्री को शैक्षिक मुद्दों या समस्याओं पर परामर्श दिया करती है।

कुंजी शब्द – संगठनात्मक व्यवस्था, प्रशासनिक, पुस्तकालय, क्रियान्वयन, शैक्षिक मुद्दा, समस्या, परामर्श।

विभिन्न प्रगति विवरणों तथा तथ्यों के अनुशीलन से यह स्पष्ट होता है, कि मध्य प्रदेश में शिक्षा के स्तर में लगातार गति आयी है, और यह गति गुणात्मक संख्यात्मक दोनों रूपों में देखी जा सकती है। तथा 10+2 के विद्यार्थियों की विषय सम्बंधी कठिनाइयों को उजागर करता है। इसमें उपलब्ध महत्वपूर्ण सांख्यिकीय साक्ष्यों के आधार पर राज्य के अधीन चलाए जा रहे विविध कार्यक्रमों एवं क्रियाकलापों में निहित सामाजिक और सांस्कृतिक लोकाचारों की व्याख्या भी प्रतिपादित है। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में विद्यालयीन शिक्षा क्षेत्र में हुए विकास का आकलन अत्यंत सावधानी एवं अपेक्षित गहनता के साथ किया गया है।

“मध्य प्रदेश को शिक्षित बनाने के लिये सभी प्रयासरत् हैं, कि मध्य प्रदेश की संपन्नता एवं उसका विकास बहुत हद तक शिक्षित जनसामान्य पर निर्भर करती है। इस दृष्टि से विगत दशकों में अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, ग्रामीण, निर्धन तथा अकुशल श्रमिकों के लक्ष्य समूहों के लिए प्रौढ एवं सतत शिक्षा कर्मक्रमों पर विशेष बल दिया गया है।”¹

यह सामान्य रूप से माना जाता रहा है कि प्राथमिक शिक्षा के अवसरों में कमी होने से निरक्षरता बढ़ती है। इस संबंध में यह भी ध्यातव्य है कि सतत शिक्षा के अवसरों के अभाव में प्राथमिक शिक्षा के प्रभाव विनष्ट हो जाते हैं। राज्य में विद्यालयीय शिक्षा के अवधि पूरा किए बगैर स्कूल छोड़ देने वाले तथा विद्यालयों में अनुत्तीर्ण होने वाले बच्चों की संख्या इस स्थिति को और अधिक विषम बना देती है। इस परिदृश्य में मध्य प्रदेश के संदर्भ में 21वीं सदी के इस प्रारंभिक चरण में सभी के लिए शत-प्रतिशत साक्षरता तथा जीवन-पर्यन्त शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति

अभी भी सुदूर है।

मध्यप्रदेश में सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को सुनिश्चित करने हेतु राज्य स्तर पर किए गए उन सभी प्रयासों का विवरण उपलब्ध है, जो साक्षरता, वैकल्पिक शिक्षा तथा विशिष्ट बच्चों की आवश्यकताओं पर आधारित शिक्षा से संबंधित हैं। इस बारे में गुणवत्ता सुधार से जुड़े मुद्दों के विश्लेषण की भी कोशिश की गई है तथा राज्य के शैक्षिक विकास से संबंधित गौण स्रोतों द्वारा प्राप्य के आधार पर चर्चाएं भी की गई हैं।

“आज किसी भी लोकतंत्र के लिए निरक्षरता उन्मूलन एक अहम् मुद्दा है। निरक्षरता उन्मूलन की दृष्टि से मध्य प्रदेश की गणना देश के पिछड़े राज्यों में की जाती है, विशेष ध्यान की अपेक्षा रखता है। विगत 50 वर्षों के साक्षरता संबंधी आंकड़ों पर विहंगम दृष्टि डालने से यह पता चलता है कि मध्यप्रदेश में साक्षरों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

इससे यह स्पष्ट होता है कि विगत दशक में तथापि सन् 2011 की जनगणना के आधार पर यह प्रकाश में आया है कि साक्षरता की स्थिति के संदर्भ में मध्य प्रदेश साक्षरता की दृष्टि से सन् 2015 ई तक इस राज्य के अपूर्ण कार्यों में पुरुष साक्षरता में 30 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता में 57 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करना शेष है।”²

दिन प्रतिदिन शिक्षा का स्तर प्रगतिमय है। जिसके विकास में प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी संस्थाएँ प्रयासरत हैं। प्राथमिक शिक्षा विशेष तौर से समाज को विकसित करने में अपनी मुख्य भूमिका निभा रहा है। जिस कारण से आज समाज का युवा वर्ग प्रगतिशील है। विद्यार्थी के जीवन चक्र की इस अवधि के तहत शारीरिक,



मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विशेषताओं के परिप्रेक्ष्य में बहुत तेजी से बदलाव आता है। “मनोवैज्ञानिक इसे दबाव एवं तनाव दौर की संज्ञा देते हैं, तो समाजशास्त्री इसे समाजीकरण की प्रक्रिया में परिलक्षित परिवर्तन का महत्वपूर्ण चरण मानते हैं। जिनमें विद्यार्थी की परिणति क्रमशः प्रौढ़ावस्था में हो जाती है। इस प्रकार एक सार्थक माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा—व्यवस्था का सृजन अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य है। क्योंकि इस समय विद्यार्थियों के जीवन में बहुत से बदलाव आ जाते हैं। प्रत्येक विषय विद्यार्थियों के लिये अत्यंत उपयोगी होता है जिसके द्वारा विद्यार्थी अपने जीवन में बदलाव चाहता है।”³

इस स्तर पर शिक्षा की विषय—वस्तु एवं शैक्षणिक प्रक्रियाओं तथा पद्धतियों को अपेक्षित सावधानी के साथ विकसित करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके तहत जिन्हें शिक्षित करने का बीड़ा उठाया जाता है, वे अतिसंवेदनशील सेवार्थी की कोटि में होते हैं। यह संवर्ग अपनी समस्याओं एवं अपेक्षाओं का सद्यः समाधान ढूँढ़ निकालने हेतु आतुर एवं अधीर रहता है। “राष्ट्रीय स्तर पर माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की स्थिति को दर्शाते हुए उनकी संरचना, अभिगम्यता, लिंग एवं क्षेत्रीय विषमताओं को उजागर किया गया है। इसके साथ—साथ स्तर पर शिक्षा में व्यावसायीकरण उसमें उद्योगों, उद्यमों एवं व्यापार आदि से संलग्नता, उद्यमिता प्रशिक्षण, स्व-नियुक्ति के अवसरों तथा केंद्रीय सरकार द्वारा पुरोनिधानित व्यावसायीकरण की योजनाओं के प्रभाव एवं अनुभवों आदि का भी विद्यार्थियों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है।”⁴

बहुत से विषय विद्यार्थियों के लिये सार्थक व उपयोगी होती है। क्योंकि विषयों के आधार पर विद्यार्थियों का भविष्य निर्धारित होता है। जो उनके जीवन के विकास के लिये बहुत महत्वपूर्ण है। “सामान्य रूप से प्रचलित शिक्षा के परिदृश्य के सापेक्ष मध्यप्रदेश राज्य की स्थिति अपवाद कही जा सकती है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा आयोग की संस्तुतियों के समकाल ही राज्य द्वारा गठित आचार्य नरेन्द्र देव समिति ने एक वैसा ही व्यवस्था का अनुमोदन किया। ऐसी दशा में इंटरमीडिएट विद्यालयों को एक वर्ष की और अवधि प्रदान करते हुए उन्हें उच्चतर माध्यमिक संरचना से जोड़ दिया गया तथा तीन वर्षों के स्नातक पाठ्यक्रम की पहल की गई।”⁵

शैक्षिक संरचना के अनुपालन में अधिक वित्त लगने के फलस्वरूप कई जिलों में यह अवस्था नहीं अपनाई जा सकी। किंतु मध्य प्रदेश में उच्चतर माध्यमिक एवं

इंटरमीडिएट शिक्षा प्रणाली दोनों ही साथ—साथ चलती रहीं। विद्यार्थियों के विषय चयन में प्रत्येक विषय सही शिक्षा के आयामों की पूर्ति करता है जिससे विद्यार्थी का बौद्धिक और सार्थक विकास हो सके।

“नवजात शिशु असहाय तथा असामाजिक होता है। वह न बोलना जानता है और न चलना—फिरना। उसका न कोई मित्र होता है और न शत्रु। यही नहीं, उसे समाज के रीति—रिवाजों तथा परम्पराओं का ज्ञान भी नहीं होता और न ही उसमें किसी आदर्श तथा मूल्य को प्राप्त करने की जिज्ञासा पाई जाती है। परन्तु जैसे—जैसे वह बड़ा होता जाता है, वैसे—वैसे उस पर शिक्षा के औपचारिक तथा अनौपचारिक साधनों का प्रभाव पड़ता जाता है।”⁶

इस प्रभाव के कारण उसका जहाँ एक ओर शारीरिक मानसिक तथा संवेगात्मक विकास होता जाता है वहीं दूसरी ओर उसमें सामाजिक भावना विकसित होती जाती है, परिणामस्वरूप वह शनैः—शनैः प्रौढ़ व्यक्तियों के उत्तरदायित्वों को सफलतापूर्वक निभाने के योग्य बन जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बालक के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन करने के लिए व्यवस्थित शिक्षा की परम् आवश्यकता है। शिक्षा माता की तरह पालन—पोषण करती है, पिता के समान उचित मार्गदर्शन द्वारा अपने कार्यों में लगाती है तथा पत्नी की भाँति सांसारिक चिंताओं को दूर करके प्रसन्नता प्रदान करती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. मिश्र बृजकुमार—मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन, प्रकाशक PHI Learning pvt. Ltd. New Delhi, Publ. 2010 पृष्ठ न. 3
2. लूनिया वी.एन.—प्राचीन भारतीय संस्कृति, प्रकाशक लक्ष्मीनाराण अग्रवाल, आगरा, संस्करण 2002, पृष्ठ न. 3
3. मिश्र बृजकुमार—मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन, प्रकाशक PHI Learning pvt. Ltd. New Delhi, Publ. 2010 पृष्ठ न. 152
4. सिंह रामचन्द्र— नैदानिक मनोविज्ञान, प्रकाशक, नोवल्टी एण्ड क., नई दिल्ली, संस्करण 2006, पृष्ठ न. 307
5. मंडल ज्योत्सना— “आदिवासी समाज में प्रजननशीलता” प्रकाशक, क्लासिकल क., पटना, संस्करण 2012 पृष्ठ न. 1
6. पाण्डे श्री प्रकाश—भारतीय दर्शन में चेतना का स्वरूप, कला प्रकाशक, नई दिल्ली, संस्करण 2009, पृष्ठ 23
